

कार्यालय निदेशक सिकण्डरी शिक्षा हरियाणा

आदेश क्रमांक 23/20-99 दि-18/2

दिनांक, चण्डीगढ़, 11-9-99

ब्रिगेडियर रण सिंह पब्लिक प्रोविडेंट स्कूल दुजाना/सुजाना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से पत्रों स्तर की सम्बन्धता में हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1. वित्त ताल्य को वर्ष 1999-2000 के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।
2. हरियाणा वित्त ताल्य के प्रबन्धक आगामी वर्ष 2000-2001 में स्थाई मान्यता प्राप्त करने सम्बन्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द समझा जाएगा।
3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1999-2001 की धारा 4 की सभी शर्तों को पूरा करना तथा इसके तहत जो भी नियम बंमि विद्यालय उनकी पालना करेगा अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।
4. विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली विभाग की दिशाओं की पालन करेगा।

पुमान्त महाशय
निदेशक सिकण्डरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।


पृष्ठांकन क्रमांक-सा-

दिनांक, चण्डीगढ़, 15-9-99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सुचनाई/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, सुजाना को उनके पत्र क्रमांक स्वा-4-99/2859 दिनांक 2-9-99 के संदर्भ में।
2. मुख्याध्यापक, ब्रिगेडियर रण सिंह पब्लिक स्कूल, सुजाना/सुजाना
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092.

अधीक्षक विद्यालय-1, 15/9/99
धृत: निदेशक सिकण्डरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।
Re


PRINCIPAL
BRIG RAN SINGH PUBLIC SCHOOL
DUJANA-124102